

1074

संख्या 77 / सिडर

परधाना अमलदरामद  
न्यायालय चम जिलाधिकारी बारा, प्रयागराज

पीठासीन अधिकारी का नाम-अ सुदन

आदेश का दिनांक-02.03.2023

ग्राम का नाम-पूरलोटाड परगना च तहसील बारा जिला प्रयागराज चर सं 1202302030701505 वर्ष 2023 धारा 80 उपरो राजस्व संहिता 2006

अनिल कुमार श्रीवास्तव आदि वनाम ग्राम धाकडा  
आदेश का सारांश जिसे अक्षरों खाली में दर्ज किया है।

खती की खाना सं०	गाटा सं०	क्षेत्रफल	मालगुजारी	वर्षातीय का प्रकार/क रण	गाटा में आदेश
004	122ख	1.8890है०	80ख	आदेश दिया जाता है कि मौजा पूरलोटाड परगना च तहसील बारा जिला प्रयागराज वर्तमान खतीनी वर्ष 1428-1431फ० के धाता सं० 004 की आ० सं० 122ख रकबा 1.8890है० च खाता सं० 81 की आ० सं० 129क रकबा 0.5720है० कुल 2 गाटा के रकबा 1.0805है० भूमि अकृषिक प्रयोग होने के कारण कृषि से निम्न गैरकृषिक प्रयोजन हेतु धारा 80(2) के अन्तर्गत इस आशय से प्रख्यापित किया जाता है कि यदि भूमिधर, इस उप धारा के अधीन घोषणा के दिनांक से पौध वर्ष की अवधि को भीतर प्रस्तावित गैर कृषि सम्बन्धी गतिविधि प्रारम्भ करने में विकल रहता है तो धारा 80 की उप धारा (2) के अधीन जीत या उसके आशिक भाग की घोषणा व्यपगत हो जायेगी।	गाटा में आदेश

परधाना अमलदरामद आज दिनांक 06-3-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर लगाकर जारी किया गया।



सं० 1074  
चर प्रयागराज  
दिनांक 02/3/2023

(अ सुदन)

आई०ए०२१०

ज्याइन्ट मजिस्ट्रेट / उपजिलाधिकारी  
बारा, प्रयागराज

*[Signature]*

Director/Principal  
Gyaan Gayatri Institute of Pharmacy  
and Paramedical Sciences  
Bara Prayagraj